न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 288/2025 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ग्राम पंचायत नागड़दा जरिये सरपंच तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 21.07.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत के नाम की आबादी भूमि मौजा नागड़दा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 536/412 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त भूमि की लट्ठा नक्शा में तरमीम सही अंकित की हुई है लेकिन तरमीम ऑनलाईन दर्ज करते समय तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना मौका मुआयना किये अपनी मनमर्जी से गलत तरमीम अंकित कर दी गई है, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा व आबादी की बसावट की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से आमजन के रहवासी घर प्रभावित हो रहे है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आबादी की बसावट एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर आबादी की बसावट अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर आबादी की बसावट एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज तरमीम में मौके पर किसी प्रकार की आबादी की बसावट नहीं है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट में मौका फर्द के संलग्न नक्शा में आबादी की बसावट बरंग हरा अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बरंग हरा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व आबादी की बसावट अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा बरंग हरा अनुसार तरमीम दुरस्ती मौके पर आबादी की बसावट अनुसार है जो प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 536/412 रकबा 0.8094 हैक्टैयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बरंग हरा आबादी की बसावट अनुसार तरमीम दुरस्ती को उचित बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:15:36 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा एवं आबादी की बसावट अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नागड़दा, तहसील शिव में प्रार्थी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 536/412 रकबा 0.80694 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में बरंग हरा आबादी की बसावट अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न आबादी की बसावट अनुसार प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:15:36 IST
Reason: SelfAttested